फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री अजय चौधरी पिता श्री रामपाल चौधरी नि0 A-77 नई आबादी शहीद भगत सिंह मार्ग कांकरोली जिला राजसमन्द – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 70/2024

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 04.09.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक :– सू0अ,05/2024/755 दिनांक 22.08..2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या (1) भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी के मार्फत ही इनके पिता के दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो क्रमशः (1) राजस्व ग्राम आसोटिया तहसील राजसमन्द में स्थित खसरा नं. 854 से 859 तक नक्शा ट्रेस में नहर का धोरा दर्ज कराने एवं (2) राजस्व ग्राम आसोटिया तहसील राजसमन्द में स्थित खसरा नं. 857 की जमीन FourLane NH-857 (Udaipur to Bhilawara) के नाम गलत दर्ज कर देने का प्रस्तुत किया गया। उक्त तीनों प्रार्थना पत्रों को इस कार्यालय क्रमशः पत्रांक विविध/2023–24/248 दिनांक 06.03.2024 एवं पत्रांक विविध/2023–24/250 दिनांक 06.03.2024 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा चुके थे। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के तहत दिनांक 13.05.2024 को आवेदन पत्र पेश कर पूर्व में प्रेषित पत्रों में की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही गई, जो दिनांक 14.06.2024 को प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई प्राप्ति रसीद संलग्न है। प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रेषित पत्रों की पुनः कार्यवाही व दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 20.06.2024 को पृथक पृथक दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जो इस कार्यालय के पत्रांक 585 दिनांक 10.07.2024 एवं पत्रांक 586 दिनांक 10.07.2024 तहसीलदार राजसमन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिये गये। प्रार्थी का अपील में वर्णित तथ्य मिथ्या है। प्रार्थी के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 13.05.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर चाही गई सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 464 दिनांक 12.06.2024 से निर्धारित शुल्क जमा करा नकल प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया गया। उसके पश्चात् दिनांक 14.06.2024 को इस कार्यालय से तैयार सूचना प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जिसकी रसीद दर्ज रजिस्टर है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील वास्तविकता एवं तथ्यों से परे जाकर प्रस्तुत की है, और प्रापत सूचना के	B

कार्यालय जिला कलक्टर

तथ्यों को छुपाते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जो भारी हर्जे खर्चे के साथ निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना दिनांक 14.06.2024 को उपलब्ध करा दी गई है,। अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद